मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.–7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर–482008 (म.प्र.)

लाईन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति की सेवा शर्तों में संशोधन

आवेदन करने की (पुनरीक्षित) अंतिम तिथि 12.08.2013

लाईन परिचारक (संविदा) के पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 8.7.2013 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए **निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 3.8.2013 को दिनांक 12.8.2013 तक बढ़ाया जाता है।** साथ ही ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13–39/2012/तेरह दिनांक 01.08.2013 के अनुक्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी कंडिका में निम्नांकित उपकंडिका जोडी जाती है :–

शैक्षणिक योग्यता:–

सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आई.टी.आई. शहडोल, रतलाम, रामपुरा तथा नर्मदानगर में संचालित इलेक्ट्रीकल ट्रेड से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे।

विज्ञापन की शेष कंडिकाएं अपरिवर्तनीय रहेंगी। विस्तृत विवरण के लिए एम.पी. आनलाईन की बेवसाईट www.mponline.gov.in पर लॉगआन करें।

अतिरिक्त सचिव

लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर चयन एवं नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें

शैक्षणिक योग्यताः—

1. उम्मीदवार को दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि छोड़कर) आई.टी.आई. प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है परन्तु आईटीआई परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है, को नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

   आई.टी.आई. में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे।

   महिला उम्मीदवार, जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

   सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आईटीआई परीक्षा के निर्धारित ट्रेड (विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

आयु सीमाः

1. आवेदक की आयु दिनांक **01—01—2013** को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। म.प्र. राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तलाकशुदा अथवा विधवा महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। अनु.जाति, अनु. जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक तथा तलाकशुदा/विधवा महिला अभ्यर्थी को अधिकतम आयुसीमा में उपर्युक्त छूट के अलावा 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी।

2. आवेदक को निम्नलिखित कंडिका 2(अ) एवं 2(ब) के अंतर्गत अधिकतम आयुसीमा में छूट की पात्रता होने पर किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मान्य होगी।

   2(अ) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर का कुल कार्य (तीनों प्रकृति) 5 वर्ष से कम किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्यअनुभव की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। विद्युत वितरण कंपनियों में मीटरवाचक, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर की कुल कार्य (तीनों प्रकृति) अवधि का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी। अधिकतम आयुसीमा के निर्धारण के लिए कार्यअनुभव (पूर्ण वर्ष) की अवधि जोड़ने की पात्रता होगी। आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

   2(ब) म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत नियमित श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में पावती की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना होगा कि — उम्मीदवार मृतक कर्मचारी का आश्रित है।

3. अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवेदन की प्रक्रियाः

4. आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित हैं। अनारक्षित एवं पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रू.250/ (रूपये दो सौ पचास मात्र) निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट होगी, तथापि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को रू.60/ पोर्टल चार्ज का भुगतान करना होगा। यदि उम्मीदवार एक से अधिक कंपनियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसका चयन संबंधित कंपनी में वरीयता के आधार पर किया जावेगा। आवेदक को इस हेतु एक ही आवेदन करना होगा।

चयन प्रकियाः

5. ऐसे आवेदक जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) का कार्य कम से कम 3 वर्ष किया है, को आई.टी.आई. परीक्षा के प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अधिभार (weightage) जोड़ा जावेगा, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी। अधिभार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। वर्तमान में ठेके पर कार्यरत मीटरवाचकों अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर कार्यरत अभ्यर्थी के कार्यअनुभव की गणना दिनांक 01.01.2013 तक की जावेगी। कार्यअवधि पर अधिभार मीटरवाचक/उपकेन्द्र आपरेटर के रूप में किये गये कार्य की कुल अवधि के आधार पर दिया जावेगा।

6. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत नियमित श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर 5 प्रतिशत अधिभार (weightage) दिया जावेगा। अधिभार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे अभ्यर्थियों को होगी जो न्यूनतम अर्हकारी अंक, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।

7. उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 5 एवं 6 के अंर्तगत पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका, जो भी अधिक हो, के प्रावधानों के अनुसार ही अधिभार (weightage) का लाभ दिया जावेगा।

8. प्राप्त आवेदनों में से आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) में प्राप्त अंकों एवं पात्रतानुसार अधिभार को जोड़कर प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) बनायी जावेगी एवं आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को नियुक्त किया जावेगा।

9. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः

   (1) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से टूल–किट लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना
   (2) 15 कि.ग्रा. वजन लेकर 10 मिनिट में 1 कि.मी. पैदल चलना।

   कंपनी में उम्मीदवार का अंतिम चयन, शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक परीक्षण में पृथक–पृथक सफलता के पश्चात तैयार की गई प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

आरक्षणः

10. मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य रोस्टर के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी। वर्ष 2013 हेतु स्वीकृत पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी वार 20 प्रतिशत पद क्षैतिज आरक्षण अनुसार सुरक्षित रहेंगे।

11. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

12. आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाली विधवा/तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों को पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाक का विधिमान्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तेंः

13. ऐसे उम्मीदवार जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपकम में कार्यरत हैं, यदि शिक्षा एवं, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं, को कार्य पर उपस्थिति के पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

14. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।

15. आवेदक को पूर्णतः स्वस्थ होना आवश्यक है।

प्रशिक्षणः

16. शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सविंदा पर लाईन परिचारक के कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर चरणों में नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त समझा जावेगा।

17. चयनित उम्मीदवारों को संस्थागत प्रशिक्षण एवं मैदानी कार्य निष्पादन प्रशिक्षण के माध्यम से कुल तीन माह का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण के दौरान किये जाने वाले मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं करने पर अनुबंधित सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

नियुक्तिः

18. उम्मीदवार को (प्रशिक्षण अवधि जोड़ते हुए), लाईन परिचारक (संविदा) पर तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किया जावेगा। अनुबंध अवधि नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी और सभी अवैतनिक अवकाश अनुबंध अवधि की गणना के लिए सम्मिलित होंगे।

19. यदि कोई अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत करता है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। अनुबंध/भर्ती के उपरांत भी यदि भविष्य में इस प्रकार की जानकारी प्रकाश में आती है कि उसके द्वारा कूटरचित/फर्जी/बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तो भी उसके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अनुबंध अवधिः

20. लाईन परिचारक (संविदा) की अनुबंध अवधि उपस्थिति दिनांक से तीन वर्ष होगी तथापि उभय पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि पूर्ण हो जाने के न्यूनतम एक दिवस उपरांत तीन वर्ष के लिए पुनः अनुबंध किया जा सकेगा, "बशर्ते अनुबंध अवधि के दौरान लाईन परिचारक (संविदा) का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाता है।" कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित लाईन परिचारक का अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त कर सकती है।

आचरण के संबंध में सामान्य शर्तेंः

21. प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं लाईन परिचारक (संविदा) पर अनुबंधित होने पर उम्मीदवार को समय–समय पर लागू/संशोधित आचरण संबंधी जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

पदस्थापना एवं स्थानांतरणः

22. चयनित उम्मीदवारों को कंपनी अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकेगी। संविदा नियुक्ति वितरण कंपनी विशेष के लिए होगी अतः एक वितरण कंपनी से दूसरी वितरण कंपनी में स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी।

पारिश्रमिकः

23. लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में निश्चित सकल पारिश्रमिक रू.7000/–, द्वितीय वर्ष में रू.8000/– एवं तृतीय वर्ष में रू.9000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।

समूह बीमाः

24. अनुबंधित अवधि में लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) समूह बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण/अनुबंध अवधि में जोखिम राशि रू.100000/ होगी व दुर्घटना हित लाभ भी लागू होगा। इस बीमा हेतु प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा भुगतान की जावेगी।

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजनाः

25. अनुबंधित अवधि में लाईन परिचारक (संविदा) नई पेंशन योजना अथवा अन्य उपयुक्त योजना जो कंपनी द्वारा ग्राह्य की जावेगी के आधीन होगा, इस हेतु कर्मचारी द्वारा भुगतान किये जाने वाली वैधानिक अंश राशि की कटौती उसको भुगतान किये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक से की जावेगी।

परिचय, चरित्र एवं जाति सत्यापनः

26. शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची मूलतः एवं एक सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः

    1. शैक्षणिक योग्यता (10 वीं की अंक सूची)
    2. व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
    3. **एमपी आनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट की मूल प्रति**
    4. **एमपी आनलाईन के कियोस्क संचालक द्वारा प्रदत्त भुगतान की कम्प्यूटराईज़्ड रसीद की मूल प्रति**
    5. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र
    6. जाति प्रमाण पत्र (संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों हेतु)
    7. पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट)

आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

8. ठेके पर किये गए कार्य हेतु वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाणपत्र
9. मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में प्रमाण एवं मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के संबंध में शपथपत्र
10. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र
12. तलाकशुदा अथवा विधवा महिला उम्मीदवार के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र

उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

सेवा अनुबंधः

27. लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) को निर्धारित प्रारूप में रू.1000/— के नान—ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लाईन परिचारक (संविदा) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं कंपनी में उपस्थिति दिनांक से तीन वर्ष तक कार्य करने हेतु अनुबंध करना होगा। अनुबंध अवधि में उभय पक्षों द्वारा एक माह की सूचना अथवा एक माह के पारिश्रमिक के भुगतान पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। पूर्ववर्ती मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में समान स्तर/उच्च स्तर/नियमित पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा अनुबंध के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अवकाश एवं छुट्टियाँः

28. उम्मीदवार जिस कंपनी से अनुबंधित होगा, उस कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष अवकाश दिवस अधिसूचित किए जावेंगे। अनुबंधित व्यक्ति को अधिसूचित अवकाश की पात्रता होगी।

29. चयनित अनुबंधित व्यक्ति को कैलेन्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

30. तीन माह की प्रशिक्षण अवधि में लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) को अधिकतम तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

यात्राः

31. प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण अवधि के उपरांत लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में अनुबंधित होने पर संबंधित को शासकीय कार्य से यात्रा हेतु कंपनी में लाईन परिचारक स्तर के कर्मचारी के अनुरूप नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

सेवा बंधनः

32. कंपनी से अनुबंधित लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा), कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार एवं आर्थिक लाभ से जुड़ी किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से संलग्न नहीं होंगे। यदि उम्मीदवार इस कंडिका की अवहेलना में संलग्न पाया जाता है तो ऐसे अनुबंधित उम्मीदवार का अनुबंध बिना कारण बताये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

33. लाईन परिचारक प्रशिक्षु(संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा) कंपनी की पालिसी एवं प्रचलित विधियों को अपनायेगा तथा अपने कार्य एवं आचरण से उच्च स्तरीय बनाये रखेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें कंपनी से उसकी सेवाएं समाप्त किया जाना भी सम्मिलित होगा।

गोपनीय सूचनाः

34. लाईन परिचारक प्रशिक्षु(संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण काल एवं कार्य के दौरान कंपनी द्वारा जो महत्वपूर्ण एवं गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है, अथवा दी जाती है, तदाशय की गोपनीयता, अनुबंध अवधि अथवा अनुबंध समाप्ति के बाद भी प्रकट अथवा भंग नहीं करेगा।

35. संविदा पर अनुबंधित लाईन परिचारक (प्रशिक्षु) यह भी वचन देगा कि वह —

    (1) गोपनीय सूचना का उपयोग केवल कंपनी में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए करेगा, अन्य किसी भी कार्य हेतु नहीं।
    (2) गोपनीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा।
    (3) उद्देश्य की पूर्ति अथवा पृथक्करण, जो भी लागू हो, के उपरांत कंपनी को सभी दस्तावेज, जिसमें गोपनीय जानकारी (प्रतियों सहित) भी सम्मिलित है, लौटायेगा।

36. इस कंडिका हेतु गोपनीय सूचना से तात्पर्य — किसी भी तरह से प्राप्त ज्ञान अथवा जानकारी (मौखिक, लिखित, दृश्यव्य अथवा अन्य कम्प्यूटराईज हार्ड/साफ़्ट प्रति) के रूप में जो कि कंपनी के व्यापारिक,

संबंध, संचालन, संपत्ति, संगठन, लेन–देन, उपभोक्ता, कर्मचारी, अधिकारी एवं वित्त जिसमें प्रतिवेदन, सूचना, सलाह, अनुशंसा (किसी भी रूप में) हो, जो किसी भी अध्ययन, मूल्यांकन, प्रतिवेदन के होने की संभावना हो, से संबंधित है।

अनुषंगी लाभ / सुविधाएंः

37. लाईन परिचारक (संविदा) प्रशिक्षु / लाईन परिचारक (संविदा) के लिए लागू सुविधाओं का उल्लेख महत्वपूर्ण शर्तों में किया गया है। इसके अलावा किन्हीं अनुषंगी लाभों / सुविधाओं जैसे :– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय / रात्रि पाली भत्ता / यूनिफार्म / यूनिफार्म धुलाई भत्ता आदि की अनुबंधित अवधि में पात्रता नहीं होगी, तथापि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना से संबंधित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित कंपनी के नियमानुसार ही की जा सकेगी।

न्यायिक क्षेत्राधिकारः

38. अनुबंध अवधि में चयन / नियुक्ति अथवा सेवा अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद संबंधित कंपनी के मुख्यालय स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होंगे।

****